न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 82/2025 (GCMS : 2025/104)

1. **दलीप** पुत्र हनुमान बावरी निवासी, बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. **हेतराम** पुत्र हनुमान बावरी निवासी, बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **पुन्नाराम उर्फ पूर्णराम** पुत्र धर्माराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. **रामी देवी** पुत्री वीरूराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. **लिछमा** पत्नी धर्माराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 8–ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. **माया देवी** पुत्री धर्माराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 8–ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. **विमला** पुत्री धर्माराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 8–ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. **चेतनाराम** पुत्र वीरूराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 8–ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
7. **नारायण राम** पुत्र कस्तूरराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 8–ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
8. **पेमा देवी** पुत्री कस्तूर राम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 8–ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
9. **फूलराम** पुत्र वीरूराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर,
10. **भोमाराम** पुत्र कस्तूर राम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
11. **सतपाल** पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
12. **सरदारी** पुत्र कस्तूर राम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
13. राजस्थान सरकार जरिये **तहसीलदार, राजस्व सादुलशहर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.04.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी एवं अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 एवं 11 के अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्तागणों को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 ... कृषि भूमि चक 11 बीएनडब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्य 18/18 की 8.7.. हैक्टेयर में से 1.265 हैक्टेयर मय खाला 0.125 हैक्टेयर किला वाईज को खातेदारी घोषित करवाने आदि के अनुतोष के साथ एक दावा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में पेश किया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण चुस्त व चालाक व्यक्ति है तथा राजनैतिक प्रभाववाले है। अप्रार्थीगण ने कहा कि उन्हानें साहब से बातचीत कर ली है, साहब भी उनके कहे अनुसार छोटी छोटी तारीखे दे रहे है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी को पीठासीन अधिकारी के निवास स्थान पर जाते हुए देखा था और अप्रार्थीगण ऐलानिया कथन किया है कि उसके अनुसार दावा आगामी पेशी पर खारिज हो जायेगा, इसलिए प्रार्थीगण को मुकद्दमा मुंतकिल करवाना आवश्यक हो गया है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 527/2021 को अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करवाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 03, 04, 05 एवं 11 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने पूर्व में श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण मुन्तकिली प्रार्थना निष्प्रभावी होने के श्रीमान् न्यायालय द्वारा प्रकरण खारिज कर दिया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण को किसी भी पीठासीन अधिकारी पर विश्वास नहीं है और पुनः यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में देरी करना चाहते है और न्याय नहीं होने दे रहे है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस में समर्थन में RRT 2023 (1) Page 97 to 100 and RRT 2022(2) page 1056 to 1059 के न्यायिक दृष्टांत की प्रति पेश की है।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 24.03.2026 का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण संख्या 527/2021 अनवानी दलीप बनाम पुन्नराम उर्फ पूर्णराम आदि को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्[illegible] में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायालय को [illegible] 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के गुण दोष पर [illegible] नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पर अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर, प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। किसी व्यक्ति का मिलीभगत सम्बन्धी आरोप साधारण प्रकृति का है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी, किसी भी समय लगाया जा सकता है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case**: Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता।** बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए''** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुहशलर को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे निर्देशन जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:19 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर